



2026:AHC:56928

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

**आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन धारा 482 बीएनएसएस
संख्या- 2003/2026**

मनोज यादव

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....विपरीत
पक्ष

आवेदक के अधिवक्ता : आशीष कुमार मिश्र, मनोज कुमार द्विवेदी,
राज कुमार मिश्र
विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता : जी ए

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री राज कुमार मिश्रा तथा राज्य की ओर से विद्वान एजीए बीपी सिंह को सुना एवं रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

2. वर्तमान आवेदन केस क्राइम संख्या 65/2025 में धारा 191(2), 191(3), 115(2), 109(1) बीएनएस, पीएस भुडकुड़ा, जिला गाजीपुर के तहत अग्रिम जमानत की मांग करते हुए दायर किया गया है, जिसमें प्रार्थना की गई है कि गिरफ्तारी की स्थिति में आवेदक को जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

*अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।*



3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि सह-आरोपी अनिल यादव और मनजीत यादव को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 16.2.2026 के आदेश के तहत अग्रिम जमानत दी जा चुकी है (अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 573/2026) और सह-आरोपी शुभम यादव को दिनांक 12.2.2026 के आदेश के तहत अग्रिम जमानत दी जा चुकी है (अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 819/2026)। आगे यह भी बताया गया है कि आवेदक को कोई विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी गई है। एफआईआर के अनुसार, पांच नामजद और 4-6 अज्ञात व्यक्तियों ने प्रथम शिकायतकर्ता के बेटे पर हमला किया, जिससे उसके जबड़े और नाक की हड्डी पर गंभीर चोटें आईं। आवेदक मुकदमे के दौरान सहयोग करने और जांच एजेंसी या न्यायालय द्वारा आवश्यकता पड़ने पर उपस्थित होने का वचन देता है और यदि उसे अग्रिम जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और जमानत की सभी शर्तों का पालन करेगा।

4. दूसरी ओर, विद्वान एजीए ने अग्रिम जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया और कहा कि आवेदक का आईपीसी की धारा 325 के तहत अपराध से संबंधित आपराधिक इतिहास है।

5. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया है।

6. सह-आरोपी अनिल यादव और मनजीत यादव को इस न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत दी जा चुकी है। एफआईआर के अनुसार, पांच नामजद और चार-छह अज्ञात व्यक्तियों ने प्रथम शिकायतकर्ता के बेटे पर हमला किया, जिसके



परिणामस्वरूप उसके जबड़े और नाक की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया। हालांकि, किसी भी आरोपी को कोई विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी गई है।

7. यह उल्लेख किया जा सकता है कि सिद्धाराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य (2011) 1 एससीसी 694 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि अग्रिम जमानत का निर्णय करते समय न्यायालय को आरोप की प्रकृति और गंभीरता, आरोपी के पूर्ववृत्त, आरोपी के न्याय से भागने की संभावना पर विचार करना चाहिए और न्यायालय को आरोपी के खिलाफ उपलब्ध सभी सामग्री का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए तथा आरोपी की सटीक भूमिका को भी ध्यान में रखना चाहिए।

8. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों, अग्रिम जमानत से संबंधित कानून के स्थापित सिद्धांतों, पक्षों के विद्वान अधिवक्तों की दलीलों, आरोप की प्रकृति, आवेदक की भूमिका पर विचार करते हुए और गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, अग्रिम जमानत का मामला बनता है।

9. अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली गई है।

10. उपरोक्त मामले में आरोपी मनोज यादव की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार 50,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानती प्रस्तुत करने पर अग्रिम जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा, निम्नलिखित शर्तों के साथ:-

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(i) आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और संबंधित न्यायालय द्वारा छूट दिए जाने तक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से निचली अदालत के समक्ष उपस्थित होगा और किसी भी अनुचित स्थगन की मांग नहीं करेगा;

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार का प्रलोभन नहीं देगा। मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को धमकी देना या वादा करना ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके;

(iii) आवेदक मुकदमे की सुनवाई के दौरान सहयोग करेगा और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

(iv) आवेदक संबंधित न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ सकता है।

11. यदि इनमें से किसी भी शर्त का पालन नहीं किया जाता है, तो अभियोजन पक्ष आवेदक को दी गई अग्रिम जमानत को रद्द करने के लिए उचित आवेदन दाखिल करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(न्यायमूर्ति जितेंद्र
कुमार सिन्हा)

18 मार्च, 2026